



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 183

No. 215]

DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941

[N.C.T.D. No. 183

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

सं. 58/2018-राज्य कर

फा. सं. 03(34)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/402.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की धारा 45 और दिल्ली माल एवं सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 81 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन व्यक्तियों को, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा 30 सितंबर, 2018 को या उसके पूर्व निरस्त कर दिया गया है, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त नियमों के प्ररूप जी.एस.टी.आर. 10 में अंतिम विवरणी 31 दिसंबर, 2018 तक प्रदान करेंगे।

2. यह अधिसूचना अक्टूबर 26, 2018 से लागू मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2019

No. 58/2018-State Tax

No. F. 3(34)/Fin.(Rev-I)/2019-20/ DS-VI/402.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), read with section 45 of the said Act and rule 81 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons whose registration under the said Act has been cancelled by the proper officer on or before the 30th September, 2018, as the class of persons who shall furnish the final return in **FORM GSTR-10** of the said rules till the 31st December, 2018.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 26th day of October, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)